

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 147]

भोपाल, बुधवार दिनांक 7 मार्च 2018—फाल्गुन 16, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2018

क्र. एफ-ए-3-05-2018-1-पांच (32).—राज्य सरकार मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 19) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-05-2018-1-पांच (6), दिनांक 23 जनवरी 2018 उन बातों के सिवाए, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या जिनके करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2018

क्र. एफ-ए-3-05-2018-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-05-2018-1-पांच (32), दिनांक 7 मार्च 2018, का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 7th March 2018

No. F. A-3-05-2018-1-V-(32).—In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby rescinds the notification No. F. A-3-05-2018-1-V-(6) dated the 23rd January 2018 of this department, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.